क्रम-संख्या–182

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०डब्लू/एन०पी०–91/2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 30 मई, 2008

ज्येष्ठ 9, 1930 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 826/79–वि–1–08-1(क)13-2007

लखनऊ, 30 मई, 2008

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 21 मई, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2008 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2007

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2008)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1–(1) यह अधिनियम इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और विस्तार

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1921 की धारा 3 का संशोधन

2–इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रख दी जाएंगी, अर्थात् :–

"3–(1) बोर्ड में एक सभापति (जिस पद को निदेशक पदेन धारण करेगा) और निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात्:–

बोर्ड का गठन

(क) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो प्रधान;

(ख) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो अध्यापक;

(ग) निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश लखनऊ या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि;

(घ) निदेशक, राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश , इलाहाबाद या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि;

(ङ) अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार), पत्राचार शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद;

(च) अपर शिक्षा निदेशक (व्यवसायेक शिक्षा) लखनऊ;

(छ) शिक्षा से संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति;

(ज) महिला शिक्षा से संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो महिला;

(झ) निदेशक, राजकीय विज्ञान शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद, पदेन;

(ञ) प्राचार्य, राजकीय शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद, पदेन;

(ट) निदेशक, मनोविज्ञान केन्द्र, इलाहाबाद;

(ठ) सचिव, माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद्, लखनऊ, पदेन;

(ड) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक जिला विद्यालय निरीक्षक;

(ढ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सम्भागी संयुक्त शिक्षा निदेशक;

(ण) क्षेत्रीय अधिकारी, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इलाहाबाद पदेन;

(त) प्राचार्य, राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण, महाविद्यालय रामपुर, पदेन;

(थ) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय का राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक आचार्य;

(द) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी अभियंत्रण विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी अभियंत्रण महाविद्यालय का राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक आचार्य;

(ध) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित कृषि विश्वविद्यालय का राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक आचार्य;

(न) किसी चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी चिकित्सा महाविद्यालय का राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक आचार्य;

(2) बोर्ड का सचिव बोर्ड का पदेन सदस्य–सचिव होगा;

(3) बोर्ड के सदस्यों का नामनिर्देशन पूरा हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार यह अधिसूचित करेगी कि बोर्ड का सम्यक् रूप से गठन कर दिया गया है।"

धारा 4 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) में, शब्द "निर्वाचित या नाम–निर्दिष्ट" के स्थान पर शब्द "नामनिर्दिष्ट" रख दिया जाएगा।

धारा 13 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात्:–

"(2) ऐसी समितियों में केवल बोर्ड के सदस्य ही सम्मिलित होंगे;

प्रतिबन्ध यह है कि बोर्ड का कोई सदस्य इन समितियों में से एक से अधिक प्रकार की समिति का सदस्य नहीं होगा और समिति के सदस्य इस रूप में तब तक पद धारण करेंगे जब तक कि वे बोर्ड के सदस्य हैं।

प्रथम अनुसूची का निकाला जाना

5–मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची निकाल दी जाएगी।

उद्देश्य और कारण

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 3 में बोर्ड के गठन की व्यवस्था है। उक्त धारा के विद्यमान उपबन्धों के अनुसार परिषद् में एक सभापति होगा, जो शिक्षा निदेशक होगा और 09 पदेन सदस्य, 31 राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य और 32 निर्वाचित सदस्य होंगे परिषद् के कार्य को अधिक कार्यक्षम बनाने तथा परिषद् के मूल शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति की दृष्टि से उक्त अधिनियम को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है जिससे मुख्यतः सदस्यों की संख्या 72 सदस्यों से घटाकर 25 सदस्य किये जाने और अध्यापकों एवं प्रधानों के निर्वाचन के बजाय उनको राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने की व्यवस्था की जा सके।

तद्नुसार इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2007 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
सै० मजहर अब्बास आब्दी,
प्रमुख सचिव।

No. 826(2)/LXXIX-V-1–08-1(Ka)13-2007

Dated Lucknow, May 30, 2008

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Intermediate Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 2008) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on May 21, 2008.

THE INTERMEDIATE EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 2007

(U.P. ACT NO. 16 OF 2008)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Intermediate Education Act, 1921.

IT IS HEREBY enacted in the fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and extend

1. (1) This Act may be called the Intermediate Education (Amendment) Act, 2007.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 2 of 1921

2. *For* section 3 of the Intermediate Education Act, 1921 hereinafter referred to as the principal Act, the following sections shall be *substituted*, namely :–.

Constitution of the Board

"3. (1) the Board shall consist of a Chairman (which office shall be held by the Director, *ex-officio*) and the following other member, namely:–

(a) two heads of the institution, maintained by the State Government, nominated by the State Government;

(b) two teachers of the institutions maintained by the State Government, nominated by the State Government;

(c) the Director, State Council of Educational Research and training Uttar Pradesh, Lucknow or a representative nominated by him;

(d) the Director, State Institute of Educational Management and Training Uttar Pradesh, Allahabad or representative nominated by him;

(e) the Additional Director of Education (Correspondence), Correspondence Education Institute, Allahabad;

(f) the Additional Director of Education, (Vocational Education) Lucknow;

(g) two person related to Education, nominated by the State Government;

(h) two women related to the Women's Education, nominated by the State Goverment;

(i) the Director, State Institute of Science Education, Allahabad, *ex-officio;*

(j) the Principal, State Institute of Education Allahabad *ex-officio;*

(k) the Director, Bureau of Psychology, Allahabad *ex-officio;*

(l) the Secretary, Board of Secondary Sanskrit Education, Lucknow, *ex-officio;*

(m) one District Inspector of Schools nominated by the State Government;

(n) one Regional Joint Director of Education nominated by the State Governement;

(o) the Regional Officer, Central board of Secondary Education, Allahabad *ex-officio;*

(p) the Principal, Government Physical Training College, Rampur, *ex-officio;*

(q) one Professor of a Degree College affiliated to a University established by law in Uttar Pradesh nominated by the State Government;

(r) one Professor of an Engineering College affiliated to an Engineering University established by law in Uttar Pradesh nominated by the State Government;

(s) one Professor of Agricultural University established by law in Uttar Pradesh, nominated by the State Government;

(t) one Professor of a Medical College affiliated to a Medical University nominated by the State Government.

(2) The Secretary of the Board shall be the *ex-officio* member-secretary of the Board.

(3) As soon as may be after the nomination of the Board has been completed, the State Government shall notify that the Board has been duly constituted''.

Amendment of section 4

3. In section 4 of the principal Act, in sub-section (2) *for* the words ''elected or nominated'' the word ''nominated'' shall be *substituted.*

Amendment of section 13

4. In section 13 of the principal Act *for* sub-section (2) the following sub-section shall be *substituted*, namely:–

''(2) Such Committees shall consist of the members of the Board only:

Provided that no member of the Board shall be the member of more than one kind of Committee of these Committees and the members of the Committees shall hold office as such till they are members of the Board.

Omission of the First Schedule

5. The First Schedule to the principal Act shall be *omitted.*

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 3 of the Intermediate Education Act, 1921 provides for the constitution of the Board. In accordance with the existing provisions of the said section the Board shall consist of a Chairman who shall be the Director of Education and 9 *ex-officio* members, 31 members nominated by the State Government and 32 elected members. With a view to making the working of the Board more efficient and for achieving the objective of fundamental educational aim of the Board, it has been decided to amend the said Act mainly to provide for reducing the number of members from 72 members to 25 members and nomination of teachers and heads by the State Government instead of the election thereof.

The Intermediate Education (Amendment) Bill, 2007 is introduced accordingly.

By order,
S.M.A ABIDI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 145 राजपत्र (हि0)–(310)–2008–597–(कम्प्यूटर/आफसेट)।